ISSN : 0973-1210

Volume :XIII No. : III & IV Year : July & October, 2017

सामाजिक शोध पत्रिका
JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH

सामाजिक व साहित्यिक पत्रिका

APPROVED JOURNAL OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

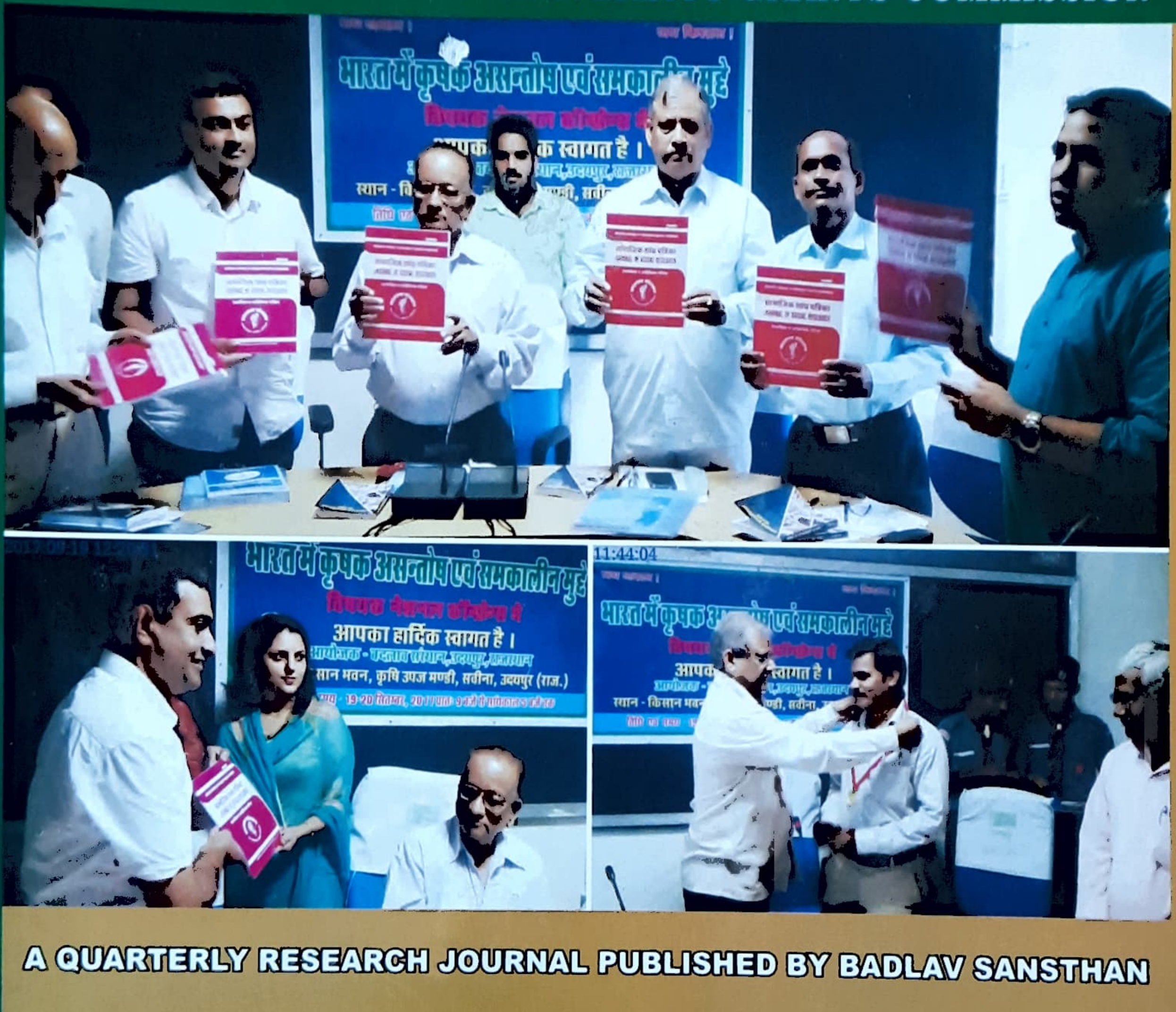

A QUARTERLY RESEARCH JOURNAL PUBLISHED BY BADLAV SANSTHAN

ADVISORY BOARD

Adv. Fateh Singh Mehta	:	Legal Advisor, Ex. Chairman, Rajasthan Bar Council
Prof. Hemant Kothari	:	Dean, P.G. Studies, Pacific University Udaipur (Raj.)
Prof. Monika Nagori	:	Chairman, Faculty of Social Sciences, MLSU, Udaipur, Rajasthan
Prof. Dharmasheela Prasad	:	Head, Department of Sociology,Patna University,Bihar
Prof. R. H. Makwana	:	Head, Department of Sociology, Sardar Patel University,Vallabh,Gujarat
Prof. Vijay Shrimali	:	Head, Deptt. Business Administration, UCCMS, MLSU, Udaipur, Rajsthan
Prof. S.L. Sharma	:	Head, Deptt. of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur
Prof. V.S. Rathore	:	Head, Deptt. of Physical Education, Guru G.D.Central University, Bilaspur (C.S.)
Prof. P.M. Yadav	:	Head, Deptt. of Sociology, M.L.S. University, Udaipur (Raj.)
Prof. Sudha Choudhary	:	Head, Deptt. of Philosophy, MLSU, Udaipur, Rajasthan
Dr. Pranjal Sharma	:	Head, Deptt. of Sociology, Dibrugarh University, Assam
Dr. Prabhat Kr. Singh	:	Head, Deptt. of Sociology,Ranchi University,Jharkhand
Prof.V.K. Lal	:	Professor, Deptt. of Sociology,Patna University, Bihar
Prof.Vishnu Sarvade	:	Professor,Deptt.of Hindi,Mumbai University, Maharashtra
Prof. Digvijay Bhatnagar	:	Professor, Deptt. of History, MLSU, Udaipur, Rajasthan
Prof. Supriti	:	Professor, Deptt. of Sociology, M.D. University, Rohtak (Haryana)
Prof. Desraj	:	Professor, Deptt. of Sociology, M.D. University, Rohtak (Haryana)
Dr. Arvind Chauhan	:	Professor, Deptt. of Sociology, Barkatullah, University, Bhopal (M.P.)
Dr. Achla Gakkhar	:	Professor, Deptt. of Home Sc., Extn, Edu., Dr. Ambedkar University, Agra (U.P.)
Prof. Amman Madan	:	Professor, Deptt. of Sociology & Anthro, Azim Prem Ji University, Banglore (Kt)
Dr. D.R. Sahu	:	Professor, Deptt. of Sociology, University of Lucknow (U.P.)
Prof. K.L. Dangi	:	Professor, Deptt. of Extn. Education, MPUAT, Udaipur (Raj.)
Dr. I.M. Kayamkhani	:	Professor, Deptt. of Geography, M.L.S.U, Udaipur, Rajasthan
Prof. F. L. Sharma	:	Professor, Deptt. of Extension Education,MPUAT, Udaipur, Rajasthan

EDITORIAL BOARD

Prof. S.K. Mishra	Dr. Shri Ram Arya	Dr. Suresh Salvi	Dr. Raju Singh	Dr. Hemlata Verma
Chairman	Chief Editor	Associate Editor	Executive Editor	Managing Editor

HON'BLE MEMBERS

Dr. Vinita Singh	:	Assoc. Professor, Deptt. of Sociology, Ranchi University, Jharkhand
Dr. Gaurang Jami	:	Assoc. Professor, Deptt. of Sociology, Gujarat University
Dr. Gulab Jha	:	Regional Director,IGNOU,Regional Centre, Noida,Uttar Pradesh
Dr. Kailash Chandra Sharma	:	Assoc. Professor, (Agri. Ext.), DEE, SKRAU, Bikaner (Raj.)
Dr. R.S. Rathore	:	Assoc. Professor, Directorate of Extn. Education, MPUAT, Udaipur (Raj.)
Dr. R.K. Verma	:	Assoc. Professor, Deptt. of Agri Extn. Education, SKRAU, Bikaner (Raj.)
Dr. R.L. Soni	:	Programme Co-Ordinator, Krishi Vigyan Kendra, MPUAT, Borwat, Banswara (Raj.)
Dr. Nita H. Shah	:	Assoc. Prof., Shah K.S. Arts & V.M. Parekh Comm. College, Kapadwanj (Gujarat)
Dr. Maneeram Meena	:	Sr. Lecturer, Deptt. of Sociology, Govt. P.G. College, Nathdwara (Raj.)
Dr. Vineeta Srivastava	:	Sr. Lecturer, Govt. P.G. College, Nathdwara (Raj.)
Dr. Monika Dave	:	Sr. Lecturer in Economics, MG Govt. Girls P.G. College, Udaipur (Raj.)
Dr. A.V. Acharya	:	Asstt. Director, IGNOU Regional Centre, Jodhpur. Rajasthan
Dr. K.K.N. Sharma	:	Assistt. Prof., Deptt. of Anthropology, Dr. H. S. Central University, Sagar (M.P.)
Dr. Lala Ram Jat	:	Assistant Professor, Udaipur School of Social Work. JRNRVU, Udaipur (Raj.)
Dr. Kishor Kumar	:	Lecturer, History Deptt., R.P.M. Degree College, Tuniyahi, Madhepura (Bihar)
Dr. Arjun Kumar Yadav	:	Lecturer, Deptt. of Pol. Sc., B.N. Mandal University, Madhepura (Bihar)
Dr. Raniprabha Solanki	:	Assistant Professor, Deptt of Sociology. JRNRVU, Udaipur (Raj
Dr. Manoj Dashora	:	Programme Co-ordinator, Zila Parishad, Rajsamand

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, प्रधान सम्पादक एवं मुद्रक डॉ. श्रीराम आर्य द्वारा उदयपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित

Dr. Raju Singh.

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	जनजातीय कृषकों की समस्याएं एवं चुनौतियां – डॉ. लालाराम जाट	5–7
2.	कृषक असंतोष एवं भारत में समकालीन मुद्दे – धनराज मीणा	8–13
3.	भारत मे भूमि सुधार – आकलन – नीलू मारू	14–15
4.	राजनीति दृष्टिकोण से किसान आन्दोलन – डॉ. रजनी धाभाई	16–18
5.	कृषि संकट और जन सुनवाई – डॉ. वीणा द्विवेदी एवं अनुकृति राव	19–23
6.	कृषक समाज में उभरता असन्तोष – डॉ. मनीराम मीणा	24–25
7.	कठपुतली – एक जीवन प्रसंग – मिनाक्षी कस्तूरी	26–28
8.	जल संसाधनों के उपयोग एवं उनका संरक्षण – सोनम वया	29–29
9.	जनजातीय समुदाय के विकास में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका – शंकरी कुमारी मीणा	30–32
10.	आधुनिक युग में पर्यावरण की महत्ता और गुरु जाम्भोजी के उपदेश – हरिराम बिश्नोई	33–34
11.	उदयपुर नगर की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं वितरण – शारदा जोशी	35–39
12.	जल प्रदूषण के प्रभाव एवं उसके उपाय – सोनम वया	40–41
13.	सामाजिक–आर्थिक अधिसंरचना के विकास का तुलनात्मक विश्लेषण – एक भौगोलिक अध्ययन – प्रो. पी.आर. व्यास एवं प्रियदर्शिनी शर्मा	42–45
14.	जनजाति व गैर जनजाति अर्न्तसम्बन्ध – धनराज मीणा	46–50
15.	महिलाओं में प्रजनता, शिक्षा, एवम् विवाह के अधिकारों की अनभिज्ञता – अवनतिका चौधरी एवं डॉ वाणी वर्मा	51–52
16.	भारत में नगरीकरण और भूमि अधिग्रहण – निर्मला डाँगी एवं डॉ. राजू सिंह	53–55
17.	जाति में व्यावसायिक परिवर्तन – पुष्पा व्यास	56–58
18.	राजस्थान में साक्षरता प्रशासन – कार्यप्रणाली व प्रभावशीलता – डॉ. हिम्मत सिंह राठौड़	59–61
19.	राजस्थान में बालश्रमिक – सुशीला सालवी	62–63
20.	दक्षिण राजस्थान की बालिकाओं के स्वास्थ का अध्ययन – अवनतिका चौधरी एवं डॉ वाणी वर्मा	64–65
21.	समेकित बाल विकास सेवा योजना – समाजशास्त्रीय अध्ययन – वर्तीका गुहिल	66–66
22.	नागार्जुन के उपन्यासों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति – जितेन्द्र कुमार बरबड़	67–68
23.	बाजारवाद और साहित्य – डॉ. रक्षा गोदावत	69–69
24.	सामाजिक विमर्श – समकालीन हिन्दी कविता के विशेष संदर्भ में – डॉ. सरस्वती जोशी	70–72
25.	Agrarian Crisis in India - An Overview - Dr. S. K. Mishra & Prabhleen Kaur	73–76
26.	Technology Integration for Doubling Farm Income Through Participatory Research and Extension Approaches - Dr. Neeta Dashora & Shailja sandu	77–78
27.	Present Scenario of Farmer Unrest in India - Meeta Solanki	79–81
28.	Farmers Unrest in India - Issues and way forward - Mohit Kumar	82–84
29.	Self Efficacy and Mental Health Among Non-Anemic and Anemic Adolescent Girls in Jodhpur, Rajasthan - Dr. Gaurav Kachhawaha	85–89
30.	Food Security in India - Status, Issues and Measures - Pooran Singh	90–92
31.	Feeding Ambadi (Hibiscus Cannabinus) cake at different levels of broiler chicken ration by effect on mortality in a arid environment - Pradeep Kumar & R.K. Joshi	93–94
32.	Need of Effective Communication in Group Discussion - Dr. Digvijay Pandya & Shahina Khan	95-96

ISSN : 0973-1210 JSR-Vol. XIII, No. 3 & 4, Year July & October, 2017

भारत में नगरीकरण और भूमि अधिग्रहण

निर्मला डाँगी *

डॉ. राजू सिंह **

भारत में नगर एवं नगरीकरण :

नगरों के विकास में भौगोलिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी स्थान पर जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि के परिणामस्वरूप नगरों के विकास को बहुत हद तक प्रभावित किया हैं। जहाँ कहीं भी आवश्यकताएँ सरलता से पूर्ण हुई, अधिक से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हुई, लोगों ने वहाँ जाकर बसना प्रारम्भ कर दिया। नगरों में व्यापार, वाणिज्य, उद्योगों का विकास हुआ तथा इनमें कार्य करने हेतु श्रमशक्ति की आवश्यकता पड़ने लगी। दूसरी तरफ कृषि भूमि का विकास के नाम पर भारी मात्रा में अधिग्रहण किया जाने लगा। कृषि भूमि के नहीं रहने पर ग्रामीण जनसंख्या रोजगार हेतु नगरों की ओर पलायन करने लगी। ग्रामीण जनसंख्या के इस प्रकार पलायन करने से नगरों की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी, दूसरी तरफ व्यापार, उद्योगों को सरलता से श्रमशक्ति उपलब्ध होने लगी। मशीनों के आविष्कार के साथ उत्पादन के नए ढंग उत्पन्न होने लगे, इनसे समाज के आर्थिक–सामाजिक ढाँचे में तीव्रता से परिवर्तन होने लगे। उद्योगों के एक स्थान पर केन्द्रीकरण ने व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया। नगर की रूपरेखा पर उस प्रदेष की आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव पड़ता हैं। नगरों से महानगरों और वृहद् महानगरों की विकास यात्रा निरन्तर चल रही हैं। कस्बों से नगर और महानगर बनने का मुख्य कारण था अधिक से अधिक सुविधाएँ प्राप्त करने की आशा।

जनसंख्या वृद्धि से नगरों की सीमाएँ बढ़ती जा रही हैं। नगरों की अपनी कार्यशैली, कार्यप्रणाली है, जो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों, सरकारी और गैरसरकारी विभागों के बीच प्रकार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित करती हैं। नगर का प्रकार्यात्मक आन्तरिक सम्बन्ध किसी भी नगर के विकास और प्रगति की रीढ़ होता हैं। नगरों का आर्थिक–सामाजिक ढाँचा मूलतः व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय और बाजारवाद की संस्कृति से बंधा हुआ हैं, जो निरन्तर परिवर्तित होता रहता हैं। व्यक्ति ''कमाओं और खर्च करो'' की प्रवृति में विश्वास करने लगा हैं। नगर की विकास यात्रा के बारे में बात की जाए तो यह भी काफी रोमांचक हैं। विश्व के विभिन्न देशों के राजतंत्र के राजाओं ने अपने–अपने काल में नगरों के विकास में यथासम्भव योगदान दिया हैं। भारत में नगरों की विकास यात्रा की कड़ियाँ आदिम–युगीन समाज से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कृषि युग ने नगर विकास की नींव रखी, भारत का प्रथम सुनियोजित नगर जमशेदपुर हैं। परिवहन एवम् संचार साधनों के विकास ने व्यापारिक नगरों के विकास को बहुत हद तक प्रभावित किया।

आज विश्व के सभी देशों में नगरीकरण की गति तीव्र हैं। नगरीकरण के परिणामस्वरूप ही अधिकाधिक जनसंख्या नगरों में आकर बसने लगी हैं। विश्व में अधिक जनसंख्या वाले शहर क्रमशः टोक्यो (जापान) जहाँ की जनसंख्या 37,843,000 हैं, जकार्ता (इंडोनेशिया) की जनसंख्या 30,539,000 हैं। भारत में जनगणना 2011 के आँकडों के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले नगरों में मुम्बई सबसे आगे हैं, जहाँ की जनसंख्या 18,394,912 हैं, तथा लिंगानुपात 853 हैं। इसके बाद दिल्ली हैं जिसकी जनसंख्या 16,349,831 हैं, तथा लिंगानुपात 876 हैं। तीसरे स्थान पर कलकत्ता हैं, जिसकी जनसंख्या 14,035,959 हैं, तथा लिंगानुपात 923 हैं। केवल लिंगानुपात के आँकड़ों को देखा जाए तो क्रमशः केरल (1084), पुडुचेरी (1037), तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु (996) हैं। शैक्षिक आँकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर केरल (94 प्रतिशत), दूसरे स्थान पर लक्ष्यद्वीप (91.85 प्रतिशत), तथा मिजोरम (91.33 प्रतिशत) तीसरे स्थान पर हैं।

नगरों का विकास वहाँ कि परिस्थितियों के सकारात्मक पहलु को प्रदर्शित करता हैं। नगरों से उच्च जीवन स्तर, आवास की उचित व्यवस्था, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सीवरेज, साफ हवा, सड़क–परिवहन, रेलवे, हवाई जहाज, मनोरंजन आदि अपेक्षाओं में उत्तरोतर वृद्धि हो रही हैं। नगरों से महानगरों व विराटनगरों का विकास निरन्तर चल रहा हैं। वर्तमान के वैश्वीकरण के दौर में नगरों के विकास के साथ–साथ अनेकों वृहद् विकास परियोजनाओं का संचालन भी किया जा रहा हैं। इन परियोजनाओं के संचालन हेतु भूमि अधिग्रहण में निरन्तर वृद्धि दर्ज की गई हैं। नगरों में नित नई सुविधाओं के विस्तार के लिए सड़कों का विस्तार एवं विकास, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बहु–मंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा हैं। नगरीय विकास के कारण भूमि अधिग्रहण एवम् विस्थापन में भी बढ़ोतरी हुई हैं।

ग्रामीण परिवेश में आज भी भूमि को माँ तुल्य समझा जाता हैं। भूमि का आकार छोटा हो अथवा बड़ा, प्रत्येक भू–स्वामी के लिए उसका अपना महत्व हैं। प्रत्येक भू–स्वामी द्वारा भूमि को पारम्परिक विरासत के रूप में सहेज कर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रखा जाता हैं। आज भी ग्रामीण

* शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
** सहायक आचार्य, विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

परिवेश की अधिकांश जनसंख्या कृषिगत कार्यों द्वारा ही अपना जीवनयापन कर रही हैं। जनगणना (2011) के अनुसार भारत में कृषकों की कुल जनसंख्या 263 मिलियन हैं। जिनमें से 118.7 मिलियन कृषक हैं, तथा 144.3 मिलियन कृषक मजदूर (कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्यों में संलग्न) हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 21.71 प्रतिशत तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या का 31.55 प्रतिशत हैं। लगभग 79 प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमान्त, वहीं पर 14 प्रतिशत भूमिहीन कृषक हैं। भूमि पर कृषिगत कार्यों द्वारा ही ग्रामीण परिवारों का वर्तमान एवं भविष्य टिका होता हैं। भूमि के अधिग्रहीत हो जाने से न केवल भू–स्वामी बल्कि उसके साथ–साथ पूरा परिवार एवं उसका भविष्य भी खतरे में पड़ जाता हैं। मुख्य रूप से पूरे परिवार की आजीविका पर संकट आ जाता हैं। भूमि अधिग्रहण के पश्चात् यदि प्रभावित परिवार को विस्थापित होना पड़े तो स्थिति और भी अधिक कष्टपूर्ण एवं दयनीय हो जाती हैं। भूमि अधिग्रहण से विस्थापित परिवार गन्दी–मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनकी आजीविका के लिए कोई नियमित स्त्रोत उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं, जिससे वे अनेक आर्थिक एवं मानसिक कष्टों का सामना करने पर मजबूर होते हैं।

भारत में भूमि अधिग्रहण एवं इससे सम्बन्धित मुद्दे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्वलंत मुद्दे कहे जा सकते हैं। विकास आज के समय की आवश्यकता बनता जा रहा हैं, वहीं पर विकास के लिए भूमि अधिग्रहण एवम् विस्थापन जैसी घटनाओं में भी निरन्तर बढ़ोतरी होती जा रही हैं। नगरीय विकास के लिए विकास परियोजनाओं का संचालन किया जाता हैं, नए–नए संस्थानों, आवासीय सुविधा हेतु आवासीय कॉलोनियों, सड़कों का विस्तार, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, विद्यालय, विश्वविद्यालयों के विस्तार आदि कार्य किए जाते हैं।

वर्तमान में भारत में भूमि अधिग्रहण की घटनाओं में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी दर्ज की गई हैं। भूमि अधिग्रहण करने पर भू–स्वामी को मुआवजा राशि देने का प्रावधान कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया हैं। इस मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि के प्रकार पर निर्भर करता हैं। भू–स्वामी को इस राशि का भुगतान किया जाता हैं। भूमि पर कृषिगत कार्यों द्वारा केवल कृषकों की ही आजीविका नहीं चलती, अपितु कृषि से सम्बन्धित मजदूरों का भी जीवनयापन होता हैं। भूमि अधिग्रहण हो जाने पर जो मुआवजा राशि प्रदान की जाती हैं, वह केवल भूमि के वास्तविक मालिक को ही अदा की जाती हैं, जबकि कृषि कार्यों पर जीवनयापन करने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता हैं। भूमि पर मालिकाना अधिकार नहीं होने से कृषि मजदूरों को किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाती, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती हैं। इस प्रकार ये मजदूर जो पहले से ही गरीबी का दंश झेल रहे होते हैं, ये बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इनको अपनी आजीविका के संचालन हेतु अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता हैं। ये अपने आवासीय क्षेत्र से दूर रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार के भूमि अधिग्रहण में मजदूरों की बड़ी संख्या प्रभावित होती हैं।

भूमि अधिग्रहण में कई बार सामूहिक भूमि का अधिग्रहण भी किया जाता हैं। इस सामूहिक भूमि द्वारा स्थानीय समुदाय द्वारा अनेक लाभ अर्जित किए जाते हैं, किन्तु इस सामूहिक भूमि का अधिग्रहण हो जाने से स्थानीय समुदाय इन लाभों से वंचित हो जाता हैं। इस प्रकार के अधिग्रहण में मुआवजा राशि का भुगतान न्यूनतम दर से किया जाता हैं। इस प्रकार के सामूहिक भूमि अधिग्रहण में मुआवजा राशि के बँटवारे को लेकर समुदाय विशेष में विपरित परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जो कि सामूहिक एकता में घातक सिद्ध होती हैं। जो समुदाय पूर्व में किसी प्रकार के विवाद नहीं करते थे, अब उनके मध्य राशि के बँटवारे एवं राशि के उपयोग को लेकर मतभेद उत्पन्न होने से सामूहिक एकता बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। समुदाय विशेष में सामाजिक बिखराव उभर कर सामने आ रहा हैं।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम एवं उसका प्रभाव :– विस्तार व विकास के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ने लगी और यह आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि द्वारा पूरी होने लगी। ''भूमि अधिग्रहण अधिनियम'' सरकार को योजनाबद्ध विकास, शहर या ग्रामीण विकास, भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं के उचित संचालन हेतु भूमि के अधिग्रहण का अधिकार प्रदान करता हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत विकास योजनाओं के नाम पर केवल बंजर भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता हैं, किन्तु विकास एवं विस्तार हेतु कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण भी होने लगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर कानूनी नियमों का हवाला देते हुए भूमि का अधिग्रहण कृषकों की इच्छा के विरूद्ध जाकर भी होने लगा। इसका ताजा उदाहरण टाटा मोटर्स द्वारा सिंगुर में भूमि अधिग्रहण था, जिसके खिलाफ किसानों द्वारा न्यायालय में अपील की गई थी। प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपार्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2016 को अपने निर्णय द्वारा टाटा माटर्स को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, के अन्तर्गत लगभग 1000 एकड़ जमीन का आवंटन खारिज़ कर दिया हैं। सिंगुर में अधिग्रहित जमीन से किसान परिवार के 15 हजार लोगों की आजीविका चलती थी, जबकि यदि फैक्ट्री खुलती तो 1 हजार लोगों को रोजगार मिलता। इस अधिग्रहण से बाकी 14 हजार लोग बेरोजगार हो जाते। इस अधिग्रहण को न्यायालय द्वारा खारिज़ करने को प्रमुख समाचार पत्रों में ऐतिहासिक फैसला बताते हुए इसका स्वागत किया हैं। ग्रामीण समुदाय विकास के खिलाफ नहीं हैं, किन्तु जमीन को निजी उद्योगपतियों को बेचने का विरोध होना चाहिए। ग्रामीण समुदाय द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध केवल इसलिए किया

जाता है, क्योंकि विकास के नाम पर अधिग्रहण से कृषि योग्य भूमि में लगातार गिरावट आ रही हैं। जनसंख्या के अधिक दबाव ने खाद्यान्न, आवास जैसी सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न किया है। विकास के नाम पर गरीब किसानों से उसके आजीविका का साधन छीना जा रहा हैं। भूमि के बिक जाने पर किसान बेरोजगार हो जाता है तथा मजबूरी में शहरों की ओर पलायन करता हैं। इस पलायन से उसके कृषि से सम्बन्धित कार्यों में निपुणता का अन्य रोजगार से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। किसान का पारम्परिक ज्ञान व्यर्थ हो जाता हैं। किसान स्वयं को ठगा–सा महसूस करता हैं। विकास की वृहत् परियोजनाओं में भूमि का अधिग्रहण हो जाने से जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग प्रभावित होता हैं। किसान की भूमि अधिग्रहित हो जाने पर वह निम्न सामाजिक समस्याओं का सामना करता है– भूमिहीनता, नौकरी का अभाव, घर नहीं होना, सामान्य जायदाद का अभाव, भूखमरी, अन्यत्र विस्थापन, सामाजिक ढाँचे का अस्त–व्यस्त होना।

भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत कई बार भू–स्वामी को उसी आकार का भूखण्ड़ अन्य स्थान पर देने का प्रावधान भी कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया हैं, किन्तु यह भूखण्ड प्रशासन की सुविधा के अनुसार उपलब्ध कराया जाता हैं। भू–स्वामी द्वारा अपने मकान, दुकान, बाड़ा, अथवा अन्य किसी प्रकार की भूमि के अधिग्रहीत हो जाने पर वहाँ से विस्थापन करना पड़ता हैं। इस विस्थापन से प्रभावित को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। विस्थापन के लिए पुनर्वास व पुनर्स्थापन विकास का सबसे बडा प्रश्न है। सेरेनिया (1989) ने विस्थापितों को होने वाली समस्याओं के बारे में विश्व बैंक को दी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि विस्थापित लोगों के पुनर्स्थापन के लिए सुव्यस्थित कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि विस्थापितों को अपनी मातृभूमि व मूलनिवास स्थान छूटने का अधिक मानसिक कष्ट ना उठाना पड़े। साथ ही उनकी दैनिक आवश्कताओं की पूर्ति के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराने जैसे सुझाव भी रिपोर्ट के माध्यम से दिए गए हैं।

निष्कर्ष :– वर्तमान में नगरीकरण के साथ–साथ भूमि अधिग्रहण में भी वृद्धि होने लगी हैं। भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की गई हैं। विभिन्न विकास परियोजनाओं को साकार रूप देने से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं भू–स्वामियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण किया जाना चाहिए। भूमि एवम् भूमि से जुड़े पारम्परिक कार्यों को वर्तमान में सहेजने की आवश्यकता महसूस की गई हैं, साथ ही रोजगार के अवसरों को उपलबध करवाकर ग्रामीण बेरोजगार लोगों का शहरी क्षेत्र की ओर पलायन को भी कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि शहरी क्षेत्रों में भी अनावश्यक जनसंख्या वृद्धि ना हों। भूमि अधिग्रहण से होने वाले विस्थापन में विस्थापितों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। ग्रामीण एवम् भू–स्वामी विकास के विरोधी नहीं हैं, किन्तु विकास के लिए होने वाले विस्थापन एवं उससे होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए प्रशासन की उचित जवाबदेही की माँग अवश्य करते हैं। भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन के परिणामस्वरूप होने वाली बेरोजगारी को कम से कम किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। रोजगार के लिए होने वाले पलायन से शहरी क्षेत्रों में बढ़ने वाली अप्रत्याशित जनसंख्या को गाँवों में रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण सँस्कृति को बचाया जा सकता हैं।

सन्दर्भ :

1. सिंह, वी. एन., सिंह, जनमेजय (2015) नगरीय समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली
2. बंसल, एस.सी. (2011) नगरीय भूगोल, मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
3. GoI (2011) : Provisional Population Totals, Office of the Registrar General and Census Commissioner, Government of India, New Delhi.
4. Cernea, M.M. (2000) : "Ricks, Safeguard and Reconstruction : A Model for population. Displacement and Resettlement." Economic and Political Weekly. vol.35(41), oct. 2000
5. Panday, R.K. (2006) : Urban Sociology- Planning Administration and Management. Sarup & Sons, New Delhi.
6. www.worldatlas.com/citypops.htm
7. Chodavadiya, Piyush : "Effect of land Acquisition on Human Rights."
8. Ghatak, M., Mitra S., Mukherjee, D., Nath, A. (2012) : Land Acquisition and Compensation in Singur : What Really Happened ? March 29, 2012
9. Sachdeva, S., Sachdeva, M. (2014) : ''भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013.'' Rajasthan Low House. Jodhpur.
10. Narayan, Raghvendra. (2015) : "How many Farmer (or) agriculturist are there in India & how many are interested to work in agricultural througtout India ?" Lives in India. oct. 3
11. Diwan, Paras, & Diwan Peeyushi. (1998) : "Human Right & the Low" 2nd ed. Deep & Deep Publication, New Delhi.
12. Amin, Manubhai, & Amin Sanjay. (2011-2012) : "The Land Acquisition Act, 1894" 3rd ed. Rajasthan Low House. Jodhpur.